

न्यायालय अपर समाहर्ता, गढ़वा
भूमि विक्री अनुमति वाद सं०-20/2022
सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(A) के अंतर्गत
श्री जगनाथ उरॉव—विक्रेता
प्रति
श्री विनोद कोरवा—क्रेता

—:आदेश:—

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक/विक्रेता श्री जगनाथ उरॉव, पिता-स्व० सुकर उरॉव, ग्राम-कल्याणपुर, पोस्ट-कल्याणपुर, थाना-गढ़वा, जिला-गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता श्री विनोद कोरवा, पिता-राम खेलावन कोरवा, ग्राम-अन्नराज नवाडीह, पोस्ट-अन्नराज नवाडीह, थाना-गढ़वा, जिला-गढ़वा को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(A) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, गढ़वा से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ एवं आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। उप समाहर्ता भूमि सुधार, गढ़वा के पत्रांक 448/दिनांक 27.12.2022 के द्वारा अंचल अधिकारी, गढ़वा का जाँच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ एवं विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के सम्बन्ध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के दादा के नाम से मांग चलता है। विक्रेता जाति के उरॉव (अनुसूचित जन जाति) एवं क्रेता जाति के कोरवा (अनुसूचित जन जाति) के सदस्य हैं। विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना गढ़वा एवं जिला गढ़वा के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि को विक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि भूदान, भू-हदबंदी, वन सीमा एवं सार्वजनिक उपयोग इत्यादि से मुक्त हैं प्रस्तावित भूमि आवेदक/विक्रेता के दखल-कब्जे में है।


अतः उप समाहर्ता भूमि सुधार, गढ़वा एवं अंचल अधिकारी, गढ़वा के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा के आधार पर आवेदक/विक्रेता श्री जगनाथ उरॉव, पिता-स्व० सुकर उरॉव, ग्राम-कल्याणपुर, पोस्ट-कल्याणपुर, थाना-गढ़वा, जिला-गढ़वा ने क्रेता श्री विनोद कोरवा, पिता-राम खेलावन कोरवा, ग्राम-अन्नराज नवाडीह, पोस्ट-अन्नराज नवाडीह, थाना-गढ़वा, जिला-गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को विक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(A) के अंतर्गत विक्री हेतु हस्तान्तरण करने की स्वीकृति दी जाती है।

—भूमि का विवरण:—


ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
1	2	3	4	5	6
कल्याणपुर	230	28	1753	0.07½	उ०-हाल क्रेता कमलेश कोरवा, द०-अमरदेव उरॉव, पू०-विक्रेता द्वारा छोड़ा गया 10 फिट रास्ता, प०-जनाधन उरॉव वगैरह,
कुल रकबा:-				0.07½	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।



अपर समाहर्ता,
गढ़वा।



अपर समाहर्ता,
गढ़वा।